रजिस्ट्री सं.-डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No D. (D N)-72

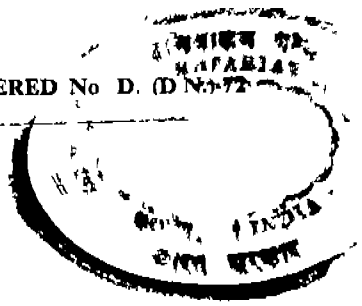

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 1982/भाद्र 5, 1904
No. 255 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1982/BHADRA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1982

सा. का. नि. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 का संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1982 ।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1982 है ।

2 (क) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 2 में खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —(चच) "उप-मुख्य श्रम आयुक्त" केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त से नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ख) नियम 2 के खण्ड (टट), नियम 2क के उपनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6), नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 13 के उपनियम (2) के परन्तुक, नियम 18 और उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में, "प्रादेशिक श्रम आयुक्त" शब्दों के पश्चात् "(केन्द्रीय)" कोष्ठक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3 नियम 3 के उप-नियम (6) और नियम 4 में "मुख्य श्रम आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक रख जाएंगे ।

4 उक्त नियमों के नियम 5 में "मजदूरी का रजिस्टर प्रारूप 3 में और कार्यस्थल पर, मजदूरी के भुगतान के रूप में रखा जाएगा" के स्थान पर "मजदूरी का रजिस्टर प्रारूप 3 में अद्यतन रूप में रखा जाएगा और कार्यस्थल पर मजदूरी के भुगतान के सबूत में रखा जाएगा ।" और "मुख्य श्रम आयुक्त" शब्दों के पश्चात् "प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक रख जाएंगे ।

5 उक्त नियमों के नियम 5-क में "मुख्य श्रम आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक रख जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में "तीन वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखा जाएगा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष की अवधि तक, कार्य स्थल पर या यदि निरीक्षक उसको कार्यस्थल पर रखने में कठिनाई अनुभव करे तो प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य समुचित स्थान पर परिरक्षित रखा जाएगा" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 8, उपनियम (1) में, —

(क) खण्ड (1) और (2) को क्रमशः खण्ड (2) और (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (2) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) मजदूरी की अवधि जिसके लिए मजदूरी संदेय है ।"

(ख) खण्ड (3) के अंत में, "और" शब्द जोड़ा जाएगा ;

(ग) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"(4) समुचित मजदूरी की अवधि को विनिर्दिष्ट करते हुए वह/वे दिन जिसको/जिनको असंदत्त मजदूरी का संदाय किया जाना है"

8. नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"8क संदाय का पर्यवेक्षण

जब कभी निरीक्षक द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए, नियोजक या कार्य स्थल पर उसका प्रतिनिधि संदाय की अधिसूचित तारीख को निरीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन, नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय करेगा ।"

9. उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (1) के परन्तुक में "मुख्य श्रम आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के प्ररूप 5 में, मद 3(क), (ख) और (घ) और मद 4 और 5 में आने वाले "400 रु." अंकों के स्थान पर "1000 रु." अंक रखे जाएंगे ।

[एम. 31012/11/79-डब्ल्यू सी (पी डब्ल्यू)]

एस. के. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1982

G.S.R. 545(E).—The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956 hereinafter referred to as the said rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 26 read with section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of three months from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government

DRAFT RULES

The Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1982

1. These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1982.

2. (a) In rule 2 of the Payment of Wages (Mines), Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, after clause (f) the following clause shall be inserted, namely :—

"(ff) "Deputy Chief Labour Commissioner (Central)" means an officer appointed as such by the Central Government;";

(b) in clause (kk) of rule 2, sub-rules (1), (2), (3), (4), (5) and (6) of rule 2; rule 9; rule 10; rule 11, proviso to sub-rule (2) of rule 12, rule 18 and sub-rule (1) of rule 19 of the said rules, after the words 'Regional Labour Commissioner' brackets and the words "(Central)" shall be inserted.

3. In sub-rule 6 of rule 3 and rule 4 for the words "Chief Labour Commissioner', the words and brackets "Regional Labour Commissioner (Central)' shall be substituted

4. In rule 5 of the said rules, the words, "up-to-date" shall be inserted be ween the words, 'shall be maintained' and "kept at the work spot", and for the words, "Chief Labour Commissioner", the words and brackets, "Regional Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

5. In rule 5B of the said rules, for the words, "Chief Labour Commissioner' the words and brackets, "Deputy Chief Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

6. In sub-rule (1) of rule 6 of the said rules, after the words, 'made therein' the words and brackets, "at the work spot or where the employer experiences difficulty in keeping them at the work spot, at other suitable place approved by the Regional Labour Commissioner (Central) in this behalf' shall be added.

7. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1) —

(a) clauses (i) and (ii) shall be renumbered as clauses (ii) and (iii) respectively and before clause (ii) so renumbered the following clause shall be inserted, namely :—

"(i) the wage period for which the wages are payable,";

(b) in clause (iii), the word "and" shall be added in the end;

(c) after clause (iii) the following clause shall be added, namely :—

"(iv) the day or days on which unpaid wages are to be paid, indicating the relevant wage period.".

8. After rule 8 the following rule shall be inserted, namely:—

"8A. Supervision of payment.—Whenever so directed by the Inspector, the employer or his representative at the work spot shall pay wages to the employed persons on the notified date of payment under the supervision of the Inspector.".

9. In the proviso to sub-rule (1) of rule 17 of the said rules for the words "Chief Labour Commissioner', the words and brackets, "Deputy Chief Labour Commissioner (Central)", shall be substituted.

10. In Form-V of the said rules, for the figures, "Rs. 400" appearing at items 3(a), (b) and (d) and items 4 and 5 the figures "Rs. 1000" shall be substituted.

[No. S-31012/11/79-WC(PW)]

S. K. BISWAS, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982